न्यायालय न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट, नागौर

बइजलास – मोहन लाल खटनावलिया, आर0ए0एस0

परिवाद संख्या – 22/2022

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कम अभिहित अधिकारी, नागौर		1 विमल झंवर पुत्र नरेन्द्र झंवर जाति माहेश्वरी निवासी जगनाथ मंदिर के पास, पीपली गली, मेडता सिटी तहसील मेडता सिटी जिला नागौर। फर्मः– मैसर्स गिरिराज प्रोविजन स्टोर, घाणा मार्केट मेडता सिटी जिला नागौर। 2 सरोज देवी मेहता पत्नी छगनलाल मेहता निवासी 30 मूथों का बास, मेडता सिटी। फर्मः–मैसर्स श्री नाकोडा एजेंसी, 2,1 जीडी सोनी मार्ग मेडता सिटी।

आदेश दिनांक :23.05.2022

1. प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नागौर द्वारा परिवाद प्रस्तुत किया गया कि दिनांक 30-10-2021 को मैसर्स गिरिराज प्रोविजन स्टोर, घाणा मार्केट मेडता सिटी जिला नागौर पर खाद्य पदार्थ घी (हरियाणा किंग ब्राण्ड) में मिलावट का शक होने पर नमूना वास्ते जांच लिया जाकर सीरीयल कोड नं. क्यू 1650 अंकित किया गया। उक्त नमूने की जांच खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला अजमेर से करवायी गयी। जिनकी जांच रिपोर्ट क्रमांक एलएस/497/एक्ट/2021/362 दिनांक 03.12.21 के द्वारा प्रार्थी द्वारा लिया गया नमूना पदार्थ घी (हरियाणा किंग ब्राण्ड) सबस्टेण्डर्ड होना पाया गया। उक्त जांच रिपोर्ट के अनुसार अभियुक्तगण विमल झंवर पुत्र नरेन्द्र झंवर जाति माहेश्वरी निवासी जगनाथ मंदिर के पास, पीपली गली, मेडता सिटी तहसील मेडता सिटी जिला नागौर तथा सरोज देवी मेहता पत्नी छगनलाल मेहता निवासी 30 मूथों का बास, मेडता सिटी ने एफ.एस.एस.ए. 2006 की धारा 26 उप धारा (2)(ii) का उल्लंघन किया है, जो कि एफ.एस.एस.ए. 2006 की धारा 51 के तहत जुर्माना योग्य अपराध होने से अप्रार्थीगण को जुर्माने से दण्डित किए जाने हेतु निवेदन किया गया।

2. खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा यह परिवाद दिनांक 21-04-2022 को इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है, जो दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण ने दिनांक 14.05.2022 को अपना जवाब प्रस्तुत कर जुर्म स्वीकार किया। अप्रार्थी संख्या 01 ने अपने जवाब में बताया कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी नागौर ने मेरी दुकान से घी (हरियाणा किंग ब्राण्ड) का सैम्पल लिया जो जांच में सबस्टेण्डर्ड होना पाया गया। भविष्य में तेल खरीदते समय घी की गुणवता का ध्यान रखकर तत्पश्चात बेचूंगा। अप्रार्थी संख्या 02 ने अपने जवाब में बताया कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी नागौर ने मैसर्स गिरिराज प्रोविजन स्टोर, घाणा मार्केट मेडता सिटी से घी का सैम्पल भरा वो मेरी फर्म से पैकिंग किया जाता है, जो जांच में सबस्टेण्डर्ड होना पाया गया। भविष्य में ऐसी गलती की पुनरावृति नहीं होगी। लोक अदालत की भावना से जुर्म स्वीकार करते है तथा दोष मुक्त करवाने एवं कम से कम जुर्माना लगाने का निवेदन किया है।

3. पत्रावली पर उपल्बध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। उपरोक्त वर्णित तथ्यों एवं पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात एवं खाद्य विश्लेषक से प्राप्त जांच रिपोर्ट संख्या क्रमांक एलएस/497/एक्ट/2021/362 दिनांक 03.12.21 के अनुसार खाद्य पदार्थ घी (हरियाणा किंग ब्राण्ड) का नमूना सबस्टेण्डर्ड होना पाया गया है। इसलिये अप्रार्थीगण को दोषी करार दिया जाता है। इस प्रकार अप्रार्थीगण द्वारा खाद्य एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा (2)(ii) का उल्लंघन करने एवं अपराध कारित करने के फलस्वरूप उक्त अधिनियम की धारा 51 के अन्तर्गत अप्रार्थी संख्या 01 विमल झंवर पुत्र नरेन्द्र झंवर जाति माहेश्वरी निवासी जगनाथ मंदिर के पास, पीपली गली, मेडता सिटी तहसील मेडता सिटी जिला नागौर पर रूपये 10,000/– अक्षरे दस हजार रूपये तथा अप्रार्थी संख्या 02 सरोज देवी मेहता पत्नी छगनलाल मेहता निवासी 30 मूथों का बास, मेडता सिटी पर रूपये 10,000/– अक्षरे दस हजार रूपये, कुल 20,000/– अक्षरे बीस हजार रूपये शास्ति आरोपित की जाती है। आदेश की प्रति संबंधित खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं संबंधित अप्रार्थीगण को भिजवाने हेतु अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर को भेजी जावे। अप्रार्थीगण से उपरोक्त शास्ति राशि वसूल कर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नागौर के कार्यालय में ट्रेजरी चालान के माध्यम से निर्णय तिथि के एक माह के अन्दर जमा करवाई जाकर पालना रिपोर्ट इस न्यायालय में प्रस्तुत करें। यदि अप्रार्थीगण निर्धारित समयावधि में शास्ति राशि जमा करवाने में असफल रहते है तो अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर इस संबंध में बनाए गए नियमों के अंतर्गत वसूली की कार्यवाही भी सुनिश्चित करेंगे।

4. आदेश लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मोहन लाल खटनावलिया)
अति. जिला मजिस्ट्रेट, नागौर

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
नागौर (राजस्थान)